

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 फरवरी 2013—माघ 16, शक 1934

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक / 412 / एफ 1-28 / 2005 / 38-1.— यतः, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा, ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए तथा उच्च शिक्षा में मानकों के संधारण के लिये अन्य मापदण्ड) विनियम, 2010’ निर्मित किये गये हैं, जो अन्य बातों के साथ, शासकीय तथा अशासकीय (सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त) महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, कीड़ाधिकारी तथा विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, सहायक ग्रंथपाल, सहायक संचालक (शारीरिक शिक्षा) की नियुक्ति के मामले में न्यूनतम अर्हता उपबंधित करते हैं;

और यतः, उक्त विनियमों का खण्ड 1.2 उपबंधित करता है कि वे केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय को तथा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संघटक या संबद्ध महाविद्यालय सहित प्रत्येक संस्था को लागू होंगे;

और यतः, यह समीचीन है कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मानकों को बनाए रखने के लिए उक्त विनियमों से संलग्न परिशिष्ट के खण्ड 3.3.1, 4.5.3 तथा 4.6.3 के उपबंधों के अनुरूप नियम निर्मित करे;

अतएव, राज्य सरकार, एतद्वारा, शासकीय एवं अशासकीय (सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त) महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, खेल अधिकारी एवं विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, सहायक ग्रंथपाल, सहायक संचालक (शारीरिक शिक्षा) की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए राज्य पात्रता परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

### नियम

- 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा नियम, 2013 कहलायेंगे।  
 (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिमाण।**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—  
 (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य के विश्वविद्यालयों (शासकीय एवं निजी) से सम्बंधित समस्त अधिनियम;  
 (ख) “आयोग” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;  
 (ग) “महाविद्यालय” से अभिप्रेत है एक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय या एक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संघटक महाविद्यालय;  
 (घ) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;  
 (ङ) “नेट” से अभिप्रेत है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा;  
 (च) “सेट” से अभिप्रेत है राज्य पात्रता परीक्षा;  
 (छ) “राज्य एजेन्सी” से अभिप्रेत है कोई विश्वविद्यालय या परीक्षा आयोजित करने वाली ऐसी प्रतिष्ठित संस्था जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सेट आयोजित करने हेतु चिन्हांकित किया गया हो;  
 (ज) “राज्य” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;  
 (झ) “विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है राज्य में सुसंगत अधिनियमों के अधीन (शासकीय एवं निजी) स्थापित विश्वविद्यालय।
- 3. प्रथोच्यता।**— ये नियम परीक्षा संचालन के लिये एवं इस नियम में उल्लिखित पदों पर नियुक्ति के संबंध में पात्रता का निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु उन अभ्यर्थियों पर लागू होंगे जो शासकीय एवं अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त) महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, खेल अधिकारी के पदों के लिये तथा विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, सहायक ग्रंथपाल, सहायक संचालक (शारीरिक शिक्षा) के पद के लिए आकांक्षी हैं।
- 4. विषय।**— (1) परीक्षा केवल उन विषयों में ही आयोजित की जायेगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति प्राप्त हों एवं परीक्षा के प्रारंभ के पूर्व तदनुसार अधिसूचित किये गये हों।  
 (2) अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक पूर्वापेक्षा है कि वे सम्बंधित विषय में दो वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य स्नातकोत्तर उपाधि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि न्यूनतम अंकों के साथ, जैसा कि इन नियमों के उप-नियम 5 (1) एवं 5 (2) में यथाविहित है, उत्तीर्ण किये हों।  
 (3) वैध उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी विषयों के संगत विषय समूह के अन्तर्गत निम्नानुसार विषयों में सम्मिलित होने की पात्रता रखते हैं:-

स. क्र.	विषय समूह	विषय
1.	राजनीतिशास्त्र	राजनीतिशास्त्र या लोक प्रशासन
2.	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र या व्यावहारिक अर्थशास्त्र

3.	इतिहास	इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास या सस्कृति एवं पुरातत्व
4.	फिजीकल साइंस	भौतिक शास्त्र या इलेक्ट्रॉनिक्स
5.	केमिकल साइंस	रसायन शास्त्र या बॉयोकेमिस्ट्री या व्यावहारिक रसायन या औद्योगिक रसायन या पर्यावरण रसायन या व्यावहारिक बॉयोकेमिस्ट्री
6.	लाइफ साइंस (जीव विज्ञान)	वनस्पतिशास्त्र या प्राणीशास्त्र या माइक्रोबायोलॉजी या बॉयोसाइंस या बॉयोटेक्नालॉजी या लिम्नोलॉजी या जेनेटिक्स या पर्यावरण विज्ञान या बॉयोइन्फारमेटिक्स या इण्डस्ट्रियल माइक्रो बॉयोलॉजी
7.	गणित	गणित या सांख्यिकी

**नोट-** उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य/राज्य एजेंसी को इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुसार विषय एवं विषय समूह को जोड़ने या परिवर्तन करने की शक्ति होगी, लेकिन उसे परीक्षा के प्रारंभ होने के पूर्व विधिवत् अधिसूचित किया जाना आवश्यक होगा।

(4) एक अभ्यर्थी मात्र उसी विषय में नियुक्ति के लिये पात्र होगा जिस विषय में उसने स्नातकोत्तर परीक्षा तथा सेट उत्तीर्ण की है।

5. **पात्रता-** (1) सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55% अंकों (या किसी ग्रेडिंग पद्धति में समतुल्य ग्रेडिंग) के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।  
 (2) सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों (या किसी ग्रेडिंग पद्धति में समतुल्य ग्रेडिंग) के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।  
 (3) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य—परीक्षा में 54.99% अंक या उससे कम (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये 49.99% अंक या उससे कम) अंक अर्जित किये हैं, उन्हें इस परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी। इस विषय में अंकों को पूर्णांक करने का कोई प्रावधान नहीं है।  
 (4) ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हकारी स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हों या हो चुके हों तथा जिनका परीक्षाफल प्रतीक्षित है या जिन अभ्यर्थियों की अर्हकारी परीक्षाएं विलंब से हो रही हैं, वे भी सेट में सम्मिलित हो सकते हैं, तथापि ऐसे अभ्यर्थियों की प्रावधिक रूप से प्रवेश दिया जायेगा तथा वे तभी पात्र होंगे जब वे स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य उपाधि परीक्षा, कम से कम 55% अंकों के साथ (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त अभ्यर्थियों के मामले में 50%) सेट परीक्षा, जिसमें वे सम्मिलित हो चुके हैं, की तारीख से एक वर्ष के भीतर उत्तीर्ण कर चुके हों तथा ऐसा करने में विफल होने पर उन्हें अयोग्य माना जायेगा।  
 (5) इस परीक्षा में केवल भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।  
 (6) केवल इस राज्य के स्थानीय निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में छूट की पात्रता होगी, जैसा कि उप-नियम (2) में उल्लिखित है।  
 (7) सेट केवल एक पात्रता परीक्षा है और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना नियुक्ति हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।
6. **वैधता-** सेट प्रमाण-पत्र की वैधता हमेशा के लिये रहेगी। यह प्रावधान उन प्रमाण पत्रों पर भी लागू होगे जो वर्ष 2006 में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (स्लेट) आयोजन उपरान्त जारी किये गये थे।

7. **आयु सीमा।—** यद्यपि सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये कोई आयु सीमा नहीं है, तथापि, आयु तथा आयु में छूट के संबंध में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी परिपत्र में उल्लिखित निर्देशों सहित संबंधित नियमों/परिनियमों/अध्यादेशों के उपबंध जहां कहीं भी लागू हों, नियुक्ति के लिये आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रचलित रहेंगे।
8. **चयन प्रक्रिया।—** (1) राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन राज्य सरकार द्वारा नियत राज्य एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।  
 (2) (क) वे अभ्यर्थी जो पहले से ही संबंधित विषय में राज्य द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ स्लेट उत्तीर्ण हैं उन्हें पुनः सेट उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।  
 (ख) अन्य राज्यों के अभ्यर्थी जिन्होंने अन्य राज्यों में 1 जून 2002 के पश्चात् आयोजित सेट/स्लेट उत्तीर्ण की हो, को इस राज्य में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी एवं उन्हें पात्रता हासिल करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आयोजित सेट उत्तीर्ण करनी होगी।  
 (ग) नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी सेट उत्तीर्ण करने की शर्त से मुक्त रहेंगे।  
 (3) विश्वविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों, एवं निजी महाविद्यालयों (सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त) में भर्ती, विज्ञापन के प्रचलित समय पर विद्यमान नियमों/अधिनियमों/परिनियमों/अध्यादेश/विनियमों इत्यादि के अनुसार की जायेगी।
9. **सेट का संचालन।—** (1) सेट का संचालन यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जायेगा।  
 (2) सेट का पाठ्यक्रम एवं पद्धति वही होगी जो कि यूजीसी एवं सीएसआईआर द्वारा संचालित नेट के लिये यथा विहित है।
10. **सेट शुल्क।—** सेट शुल्क राज्य एजेंसी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
11. **विवाद।—** (1) परीक्षा के संचालन से संबंधित सभी प्रकार के विवाद, यदि कोई हों, का निराकरण राज्य सरकार के परामर्श से राज्य एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।  
 (2) नीतिगत मामलों में विवाद के संबंध में निर्णय छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिया जायेगा तथा यह निर्णय सभी घर बंधनकारी होगा।
12. **निरसन तथा व्यावृत्ति।—** (1) इन नियमों के तत्त्वानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतदद्वारा निरसित किये जाते हैं:  
 परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्त्वानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।  
 (2) इन नियमों में की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उपबंधित तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।